

21.9.12

अपीलकर्ता की ओर से हजिरी नहीं है।
उत्तरवादी की ओर से हजिरी है।
अपीलकर्ता की ओर से 24.6.2011 से लगातार
बुनवाई हेतु कोई पेशी नहीं है इससे
प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को इस
अपीलवाद में कोई अधिकार नहीं है।
अतः अपीलकर्ता के द्वारा अपील को
वर्गीय किया जाता है जिस व्यापारिक
घाटे की प्रति के साथ निम्न पत्रित
राशि की वसूली हेतु निम्न व्यापारिक
अधिकार वापस को ।
पेशीपत्र ।

उपायुक्त,
पाण्डे ।

उपायुक्त,
पाण्डे ।

14/9/2012
12/10/2012
L.R. mis